

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(F)स्वै0सेनि0 / वी-16 / 2017 /

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
हनुमानगढ़।

दिनांक:-

विषय:- श्रीमती वन्जा कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा  
निवृत्ति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 4524-25 दिनांक 03.04.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती वन्जा कुमारी, महिला स्वास्थ्य  
दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हनुमानगढ़ के दिनांक 02.08.2018 से स्वैच्छिक  
सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक:  
नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति  
पर रोक है।

अतः कार्मिका को दिनांक 02.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया  
जाना संभव नहीं है, अतः आप अपने स्तर से कार्मिका को सूचित करें।

-sd-

(डा० घनश्याम)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 4-5-2018

क्रमांक:- नर्सिंग / नर्स-2(F)स्वै0सेनि0 / वी-16 / 2017 / 627

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमती वन्जा कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

(डा० घनश्याम)

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर